



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



प्रेषिति-

श्री महेंद्र कुमार सेकसरिया, पट्टेदार,
करहीडीह मोल्डिंग सैंड खान,
271, रामदेव मंदिर, वार्ड न.-35,
गंजपारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001
ईमेल- mkseksaria@gmail.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके करहीडीह मोल्डिंग सैंड खान, 4.047 हैक्टर (खान कोड-42CHG05001) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियमों के उल्लंघन के संबंध में |

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राहुल कुमार सेकसरिया, पट्टेदार के प्रतिनिधि एवं श्री अमित कुमार कश्यप, अर्हित व्यक्ति एवं भूविज्ञानी की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during inspection of the mine, mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 04.03.2020 to the extent indicated below: - i. Mining lease boundary pillars as shown in the approved Review of Mining Plan (on surface plan and other plans) are not found posted/maintained at the site.
46	Intimation of appointment of Mining Engineer has not been furnished to this office in Form H.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 46 के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं ।

03. अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इस पत्र के जारी होने के 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।

भवदीय,

प्रशान्त कुमार साहू
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ:- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़ से अनुरोध है की सीमा स्तंभों का स्थापना एवं सत्यापन सुनिश्चित करें । ईमेल- dqm.cg@nic.in

हस्ता/-
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो